न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –114/2021

अनवान : –

1. विमला पत्नि पन्नालाल जाति जाट निवासी किराडाबडा त0 भादरा।

:–प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–अप्रार्थी

आज यह वाद शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र मोठसरा व प्रतिवादी राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा.सं.अ.-2021
कैम्प किराडाबडा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —114/2021

अनवान : —

1. विमला पत्नि पन्नालाल जाति जाट निवासी किराडाबडा त0 भादरा।

:—प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— अप्रार्थी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री रविन्द्र मोठसरा **प्रार्थीया**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराडाबडा तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 102/96 के खसरा सं0 36/1, 70/2, 70/5, 188/1 व 451 कुल 4.5530है0कृषि भूमि विमला पत्नी औमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि में दर्ज कराते समय वादीया का नाम विमला पत्नी औमप्रकाश सहवन से दर्ज हो गया।जबकि वादीया का पति पन्नालाल है। और इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम विमला पत्नी औमप्रकाश की जगह विमला पत्नी पन्नालाल दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। चूंकि वादीया के मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज विमला पत्नी पन्नालालके नाम से ही है। वादीया का सभी दस्तावेजों में नाम विमला पत्नी पन्नालालही दर्ज है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादीया उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपने पति का नाम विमला पत्नी पन्नालालकरवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 ने जबाबदावा पेश किया। व तन्कीयात कायम की गई।

साक्ष्य वादी में विमला पत्नि पन्नालाल जाति जाटके बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा किराडाबडा प्रदर्श1, चित्रप्रति बैंक पास बुक प्रदर्श 2ए, चित्रप्रति गैस एजेंसी कार्ड प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति भामाशाह कार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र ओमप्रकाश प्रदर्श 5ए, चित्रप्रति मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति पहचान पत्र चुनाव आयोग 7ए, चित्रप्रति जनाधार कार्ड 8ए, चित्रप्रति पैन कार्ड रोहिताश प्रदर्श 9ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 10ए प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा किराडाबडा तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 102/96 के खसरा सं0 36/1, 70/2, 70/5, 188/1 व 451 कुल 4.5530है0 कृषि भूमि विमला पत्नी औमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादीयाके पति का नाम विमला पत्नी औमप्रकाश दर्ज हो गया था।वादीया ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो विमला पत्नी पन्नालाल के नाम से ही है। परन्तु पटवार हल्का रिपोर्ट किराडाबडा की रिपोर्ट के अनुसार विमला पत्नी औमप्रकाश के नाम से नामान्तरण सं0 222 दिनांक 14.09.1998 जरिये रजिस्ट्री के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ। जिसमें वादीया का नाम विमला पत्नी औमप्रकाश ही दर्ज है। तथा वकील वादीया द्वारा पेश रजिस्ट्री दस्तावेज दिनांक 14.03.1997 में भी वादीया का नाम विमला पत्नी औमप्रकाश दर्ज है। इस प्रकार वादीया का नाम अपनी खरीदशुदा भूमि में विमला पत्नी औमप्रकाश राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना एक लिपिकीय भूल नहीं होना साबित है। तथा ना ही वादीया द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया है जिससे यह प्रस्तुत हो कि राजस्व रिकार्ड में भूल हुई है। अतः वाद वादीया अपना वाद साबित करने में असफल रही। अतः वाद वादीयाकाबिल स्वीकार नहीं होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कैम्प भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner